

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं०-10/निजी-01-1027/24-

पटना/दिनांक-

श्रीमती मधु रानी (आई०डी०-5929), सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के द्वितीय प्रसव हेतु दिनांक-09.10.2025 से दिनांक-06.04.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 "ख", वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.01.2015 एवं पत्रांक-2555 दिनांक-29.03.2016 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2407(21) दिनांक-15.10.2024 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती रानी के अवकाश लेखा में शेष-0 (शून्य) दिनों का मातृत्व अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1027/24-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि -प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-PCFC/IRR/BES/2024/2295-2407(21) दिनांक-15.10.2024 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1027/24-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि -मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1027/24-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि - श्रीमती मधु रानी (आई०डी०-5929), सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1027/24-

29/7/24

पटना/दिनांक-

09/07/2024

प्रतिलिपि -कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।